

स0 सं0 14 / एम 11-01/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक . ....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                            | 3             | 4              | 5               |
| 1       | हसबुन नेशा<br>पति- मो0 युनुस सिद्दिकी<br>ग्राम- मरहिया<br>पो0+थाना- लौरिया<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>यूएचआईडी न0- 104182161 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                              |               | 1,00,000       |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196757.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- CA 10874584292, खाता धारक का नाम- DR. BRAIRCH PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

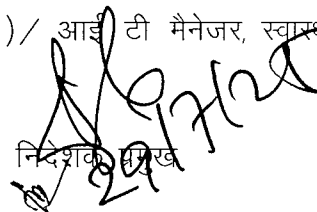
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2124(14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...196957 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आइ टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-01/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,  
Max Super Speciality Hospital,  
(A unit of Muthoot Hospital Pvt. Ltd)  
Plot No.1 Sector-10, Dwarika,  
New Delhi - 110075

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                      | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                  | 3                  | 4              | 5                |
| 1       | कन्हैया कुमार<br>पिता— मिथलेश सिंह<br>ग्राम— भिरिया<br>पो0— नारायणपुर<br>थाना— मढौरा<br>जिला— सारण | गुर्दा प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                    |                    | 3,00,000       |                  |

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196959 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0— MSSDWK001403, खाता धारक का नाम— MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL DWARKA COLLECTION AC-A U/F MUTHOOT HOSPITAL P LTD., खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— ICICI BANK, शाखा का नाम—, RTGS/IFSC कोड स0— ICIC0000106 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2125(14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196959.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

**TENDER PALM SUPER SPECIALITY HOSPITAL,**  
**Gomati Nagar Extension,**  
**Shaheed Path, Lucknow - 226002**

पटना, दिनांक.....

विषय.— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                    | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                   | 3             | 4              | 5               |
| 1       | अंशिका कुमारी<br>पिता-त्रिलोकी प्रसाद<br>ग्राम-गोपालपुर टोला मगही<br>पो०-गोपालपुर<br>थाना-लकडी नवीगंज<br>जिला-सिवान | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                     |               | 1,00,000       |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/—(एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196959 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200094202233 खाता धारक का नाम—“**Health Plus Research & Medicentre LLP**” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **SAPRU MARG HAZRATGANJ BRANCH LUCKNOW 226001**, ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0001267** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2126(14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196252 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक ...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                          | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                      | 3             | 4              | 5               |
| 1       | मुकेश पासवान<br>पिता- नागेन्द्र पासवान<br>ग्राम- मधुरापुर<br>पो०- काकरपुर जगत<br>थाना- पीपरा<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न०- 2025532028            | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 2       | गगनदेव प्रसाद<br>पिता- रामबहादुर भगत<br>ग्राम- फतेहपुर<br>पो०- नोनीमल<br>थाना- राजेपुर<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>सीआर न०- 2025239380                  | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 3       | अशोक कुमार ठाकुर<br>पिता- नागेश्वर ठाकुर<br>ग्राम- उसी महाल मुजा वार्ड 03<br>पो०- पहाडपुर<br>थाना- बैकुण्ठपुर<br>जिला- गोपालगंज<br>सीआर न०- 2025464815 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
| 4       | आदित्य कुमार मिश्र<br>पिता- धननंजय कुमार मिश्र<br>ग्राम- अरुही<br>पो०- पौंजर<br>थाना- करगहर<br>जिला- रोहतास<br>सीआर न०- 2021008961                     | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |

|   |                                                                                                                                         |                           |          |                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------|
| 5 | अमन कुमार सिंह<br>पिता- कृष्णा मुरारी सिंह<br>ग्राम-पो0- चतरा<br>थाना- दावत<br>जिला- रोहतास<br>सीआर न0- 2025264634                      | मस्तिष्क रोग              | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
| 6 | विदान्ती देवी<br>पति- धर्मनाथ साह<br>ग्राम- मंझरिया<br>पो0- भठवा<br>थाना- कटेया<br>जिला- गोपालगज<br>सीआर न0- 20221052384                | कैसर रोग                  | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 7 | अवधेश कुमार<br>पिता- धर्मनाथ सिंह<br>ग्राम- किशुनपुर<br>पो0- भाथा सोनहो<br>थाना- भेलदी<br>जिला- सारण<br>सीआर न0- 2025100226             | कैसर रोग                  | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 8 | विजय कुमार<br>पिता- रामानंद यादव<br>ग्राम- लकडा<br>पो0- दूधियावा<br>थाना- नवलपुर<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>सीआर न0- 2024797722         | कैसर रोग                  | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                        |
| 9 | ओम प्रभात श्रीवास्तव<br>पिता- गुणेश्वर प्रसाद<br>ग्राम - शिशो वार्ड-10<br>पो0-शिशो<br>थाना- मब्बी<br>जिला-दरभंगा<br>सी आर न0-2025610993 | Ankylosing<br>Spondylitis | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति मे। |
|   |                                                                                                                                         |                           | 9,00,000 |                                        |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,00,000/- (नौ लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196957 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को



कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2127(14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176959 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक  
सर सुन्दर लाल अस्पताल,  
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक . . . . .

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                 | बीमारी का नाम       | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                             | 3                   |                | 5                           |
| 1       | आरती देवी<br>पति- श्रीनिवास राम<br>ग्राम- सबेया<br>पो0- राजनडीह<br>थाना- राजपुर<br>जिला- रोहतास<br>एमआरडी नं0- 6483005        | हृदय रोग<br>सीएबीजी | 1,35,000       | एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। |
| 2       | लालचुनी देवी<br>पति- ललन राय<br>ग्राम+पो0- पकडी दीक्षित<br>थाना- कल्याणपुर<br>जिला- पूर्वी चम्पारण<br>एमआरडी नं0- 7536499     | कैंसर रोग           | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।             |
| 3       | सिमा देवी<br>पिता- जगतनारायण सिंह<br>ग्राम- पिपरिया<br>पो0- किलनी<br>थाना- चांद<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>एमआरडी नं0- 6835966    | कैंसर रोग           | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।             |
| 4       | नंदनी कुमारी<br>पिता- प्रदीप मिश्रा<br>ग्राम- मिश्र कर्मा<br>पो0- भकुरा<br>थाना- तरारी<br>जिला- भोजपुर<br>एमआरडी नं0- 6447381 | कोकलियर इम्प्लांट   | 4,00,000       | चार लाख स्वीकृत।            |

|   |                                                                                                                        |                     |            |                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 5 | शिवकुमारी देवी<br>पति- रविद्र सिंह<br>ग्राम- महुली<br>पो- काडी<br>थाना- नबीनगर<br>जिला- औरंगाबाद<br>एमआरडी न०- 7597953 | हृदय रोग<br>पीटीसीए | 1,00,000   | एक लाख<br>स्वीकृत। |
|   |                                                                                                                        |                     | ₹ 8,35,000 |                    |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,35,000/- (आठ लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196757 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं० BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2128(14)

पटना, दिनांक

30/7/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196757 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक  
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०  
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,  
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक . ....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                    | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | सूर्यमती देवी<br>पति- मनोज चौहान<br>ग्राम- मेढ<br>पो०- सिरसी<br>थाना- चैनपुर<br>जिला- कैमूर भभुआ | कैसर रोग      | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 2       | बषा देवी<br>पति- भरत साह<br>ग्राम+पो०- देवहलिया<br>थाना- रामगढ़<br>जिला- कैमूर भभुआ              | कैसर रोग      | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
| 3       | अबरार अंसारी<br>पिता- मोबिन अंसारी<br>ग्राम+पो०+थाना- चैनपुर<br>जिला- कैमूर भभुआ                 | कैसर रोग      | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                  |               | 2,40,000       |                     |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000 /- (दो लाख चालीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196959 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-36180579026, खाता धारक का नाम- APEX WELCARE PVT, LTD खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

2129(14)

पटना, दिनांक

30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176959 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
होमी भाभा कैंसर अस्पताल  
घंटी मिल रोड, लहरतारा,  
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा  
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक...

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                                 | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                | 3             | 4              | 5                   |
| 1       | राजेन्द्र यादव<br>पिता— राम बच्चन यादव<br>ग्राम— किशुनपुरा<br>पो0— रतवार<br>थाना— भभुआ<br>जिला— कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2024 / 005020 | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 2       | रीता सिंह<br>पति— अशोक कुमार<br>ग्राम+पो0— डुमरा<br>थाना— अम्बा<br>जिला— औरंगाबाद<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2023 / 014409                          | कैंसर रोग     | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।     |
| 3       | मालती देवी<br>पति— रामशंकर दुबे<br>ग्राम— बाघी<br>पो0— सबर<br>थाना— करमचट<br>जिला— कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं0—<br>18एफ2025 / 006706              | कैंसर रोग     | 80,000         | अस्सी हजार स्वीकृत। |

|   |                                                                                                                                                       |          |          |                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 4 | राजू साव<br>पिता- स्व० मंगर साव<br>ग्राम- बभनडीह<br>पो०- औरंगाबाद<br>थाना- मुफ्फशील<br>जिला- औरंगाबाद<br>केस फाईल न०-<br>18एफ2025 / 006330            | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 5 | छोटेलाल तिवारी<br>पिता- रामअवतार तिवारी<br>ग्राम- पटसेरवाँ<br>पो०- सोन्धी<br>थाना- मोहनियाँ<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न०-<br>18एफ2025 / 009430  | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 6 | विनोद साह<br>पिता- नथुनी साह<br>ग्राम+पो०- बियर<br>थाना- चैनपुर<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न०- सीएस/36677                                        | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 7 | भगवान जी महतो<br>पिता- स्व० भगवती महतो<br>ग्राम- महायोगिन<br>पो०- गौनाहा<br>थाना- सहोदरा<br>जिला- पश्चिम चम्पारण<br>केस फाईल न०-<br>18एफ2025 / 005496 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।     |
| 8 | मुन्नी देवी<br>पति- रमेश राम<br>ग्राम- कलहनुआ<br>पो०- कल्याणपुर<br>थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न०- 18एफ225 / 004954               | कैसर रोग | 80,000   | अस्सी हजार स्वीकृत। |

|    |                                                                                                                                                   |          |          |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| 9  | गणपति सिंह<br>पिता- स्व० ठग सिंह<br>ग्राम+पो०- सिसराढ<br>थाना- राजपुर<br>जिला- बक्सर<br>केस फाईल नं०-<br>16एफ2024 / 002219                        | कैसर रोग | 60,000   | साठ हजार स्वीकृत। |
| 10 | राजेद्र प्रसाद यादव<br>पिता- विशुन यादव<br>ग्राम- जवही दियर<br>पो०- बलुआ थाना- ब्रह्मपुर<br>जिला- बक्सर<br>केस फाईल नं०- केडी / 11207             | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |
| 11 | उमा नाथ सिंह<br>पिता- सिद्धेश्वर सिंह<br>ग्राम- पुनौल पो०- चौबार<br>थाना- टनकुप्पा<br>जिला- गया जी<br>केस फाईल नं०- सीएन / 11196                  | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |
| 12 | किशोर विश्वकर्मा<br>पिता- जिच्छु विश्वकर्मा<br>ग्राम- राणा प्रताप नगर<br>पो०+थाना- इस्लामपुर<br>जिला- नालदा<br>केस फाईल नं०-<br>18एफ2025 / 000114 | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |
| 13 | नीरज उपाध्याय<br>पिता- महेंद्र उपाध्याय<br>ग्राम- सिझुआ<br>पो०- ऊपरी थाना- रामगढ<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं०-<br>18एफ2025 / 008285        | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |
| 14 | कलिदर सिंह<br>पिता- फौदार सिंह<br>ग्राम- गोरार<br>पो०+थाना- दुर्गावती<br>जिला- कैमूर भभुआ<br>केस फाईल नं०-<br>18एफ2025 / 010135                   | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |
| 15 | सुमन देवी<br>पति- दीपक कुमार<br>ग्राम- रामपुर. असली<br>पो०- करनौल थाना- साहेबगंज<br>जिला- मुजफ्फरपुर<br>केस फाईल नं०-<br>19एफ2025 / 003449        | कैसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।   |



|    |                                                                                                                                                      |           |           |                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 16 | राकेश कुमार<br>पिता— जय शंकर चौधरी<br>ग्राम— जनकपुर<br>पो0— कोआथ<br>थाना— दावत<br>जिला— रोहतास<br>केस फाईल न0—<br>18एफ2025 / 010916                  | कैंसर रोग | 1,80,000  | एक लाख अस्सी हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
| 17 | विभा सिंह<br>पति— नागेद्र सिंह<br>ग्राम+पो0+थाना— मोहनिया<br>जिला— कैमूर भभुआ<br>केस फाईल न0—<br>18एफ2025 / 005154                                   | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।                                       |
| 18 | अशु कुमारी<br>पति— इन्द्रजीत कुमार मेहता<br>ग्राम— कमाल खैरवा<br>पो0— दारानगर<br>थाना— नौहट्टा<br>जिला— रोहतास<br>केस फाईल नं0—<br>11एफ2024 / 020410 | कैंसर रोग | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।                                       |
| 19 | विभा देवी<br>पति— तारकनाथ मिश्रा<br>ग्राम— रहटौवा<br>पो0— बेलाव<br>थाना— दरौली<br>जिला— सिवान<br>केस फाईल न0— केई / 14956                            | कैंसर रोग | 1,80,000  | एक लाख अस्सी हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति में। |
|    |                                                                                                                                                      |           | 19,80,000 |                                                       |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 19,80,000/- (उन्नीस लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196759 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 3675632747 खाता धारक का नाम— होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2130(14)

पटना, दिनांक-30/7/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196957 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14/ एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Care Hospital Care Treatment Centre (P) Ltd.,

Bhikharipur, B.L.W., Sunderpur Road,

Varanasi - 221004

पटना, दिनांक .....

विषय— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” के प्राधिकृत समिति की दिनांक **23.07.2025** की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                  | बीमारी का नाम            | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में।  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                                                              | 3                        | 4              | 5                 |
| 1       | चंद्र भूषण कुमार<br>पिता— दिलीप कुमार सिंह<br>ग्राम— घोरडिहिन<br>पो०— शिरखिन्डा<br>थाना— बघैला<br>जिला— रोहतास | ब्रेन हेमरेज<br>/ सर्जरी | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                |                          | 60,000         |                   |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196957.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 21040638381, खाता धारक का नाम— Care Treatment Center Pvt Ltd., खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— INDIAN BANK, शाखा का नाम—Bhikharipur, Varanasi, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000B874 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत

किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2131 (14)

पटना, दिनांक 30/7/2023-

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196957 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० सं० 14 / एम 11-1 / 2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक . . . . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                  | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3             | 4              | 5                 |
| 1       | पचम ठाकुर<br>पिता- खुशरू ठाकुर<br>ग्राम- केलाबाडी<br>पो०- खुदागज थाना- बहादुरगज<br>जिला- किशनगज<br>केस फाईल न०- 11एफ2024 / 026350 | कैसर रोग      | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत। |
| 2       | सैयद हसीन असदक<br>पिता- सैयद सदीदुद्दीन<br>ग्राम- नील कोठी<br>पो०+थाना- डेहरी<br>जिला- रोहतास<br>केस फाईल न०- 11एफ2024 / 000155   | कैसर रोग      | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत। |
| 3       | सुनीति देवी<br>पति- गौतम कुमार<br>ग्राम- मायापुर पो०- तरवा<br>थाना- वजीरगंज<br>जिला- गया जी<br>केस फाईल न०- 11एफ2025 / 002521     | कैसर रोग      | 60,000         | साठ हजार स्वीकृत। |
| 4       | मीना देवी<br>पति- बालमुकुंद शर्मा<br>ग्राम- महेशपुर<br>पो०- चेवाडा थाना- करंडे<br>जिला- शेखपुरा<br>केस फाईल न०- 11एफ2024 / 023164 | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।   |

|   |                                                                                                                                                                       |           |          |                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|
| 5 | जितेन्द्र कुमार<br>पिता— देव नाथ राम<br>ग्राम— भवानी टोला<br>पो0— रामपुर दियारा<br>थाना— मनेर जिला— पटना<br>केस फाईल न0— 11एफ2025/016863                              | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                         |
| 6 | राधा बेन पटेल<br>पति— शिवगण भाई पटेल<br>ग्राम— खलीफाबाग सखावत हुसैन लेन<br>शाह मार्केट पो0— सुजागंज<br>थाना— कोतवाली<br>जिला— भागलपुर<br>केस फाईल न0— 11एफ2025/014720 | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में। |
| 7 | श्रीकांत प्रसाद सिंह<br>पिता— विमल शरण सिंह<br>ग्राम— फुलपुरा<br>पो0— मनकीपर थाना— धनरूआ<br>जिला— पटना<br>केस फाईल न0— 11एफ2025/012089                                | कैंसर रोग | 1,00,000 | एक लाख स्वीकृत।                         |
|   |                                                                                                                                                                       |           | 5,80,000 |                                         |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 /96959... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम— टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम— टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2132(14)

पटना, दिनांक 30/7/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196957 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, स्कुडर रोड

पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                          | बीमारी का नाम                                 | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 1       |                                                                                                                                        | 3                                             | 4              | 5                                    |
| 1       | टुनटुन साह<br>पिता- राज नारायण साह<br>ग्राम+पो०- बेलवर<br>थाना- बेलसर<br>जिला- वैशाली<br>सीएमसी न०- एजे 48031                          | ब्रेन सर्जरी (न्यूरो)                         | 2,00,000       | दो लाख स्वीकृत।                      |
| 2       | अशोक पासवान<br>पिता- स्व० दरोगी पासवान<br>ग्राम- पूर्वी मलाही<br>पो०+थाना- बाढ<br>जिला- पटना<br>सीएमसी न०- एजे 36519                   | कैसर रोग                                      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत।                      |
| 3       | दिलीप कुमार मुखर्जी<br>पिता- अनिल मुखर्जी<br>ग्राम- सामडीह<br>पो०- दामोदरपुर<br>थाना- लखीसराय<br>जिला- लखीसराय<br>सीएमसी न०- 287009 पी | हृदय रोग<br>डीभीआर                            | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार स्वीकृत।            |
| 4       | रतनेश्वर सिंह<br>पिता- वासुदेव सिंह<br>ग्राम- महादलीचक<br>पो०- गोपालपुर<br>थाना- नयागाव<br>जिला- सारण<br>सीएमसी न०- एजे 10910          | Cardiomyopathy, triple vessel coronary artery | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में। |



|   |                                                                                                                             |                   |           |                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| 5 | टुनटुन कुमार<br>पिता- लालो यादव<br>ग्राम- दशरथपुर<br>पो0+थाना- मसूरचक<br>जिला- बेगूसराय<br>सीएमसी नं0- एजे 58951            | कैसर रोग          | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।                                 |
| 6 | पिकी कुमारी<br>पिता- सूरज सिंह<br>ग्राम+पो0- तरारी<br>थाना- दाउदनगर<br>जिला- औरंगाबाद<br>सीएमसी न0- एजी 74769               | ब्रेन सर्जरी      | 1,00,000  | एक लाख स्वीकृत।<br>विशेष परिस्थिति में।         |
| 7 | अंशु देवी<br>पति- रामदुलार मेहता<br>ग्राम- पचमहला<br>पो0- नौडीहा<br>थाना- खिजरसराय<br>जिला- गया जी<br>सीएमसी नं0- एएच 71783 | लग्स रोग          | 27,000    | सत्ताईस हजार<br>स्वीकृत। विशेष<br>परिस्थिति मे। |
| 8 | सुरुचि कुमारी<br>पिता- सुबोध यादव<br>ग्राम- माधोपुर<br>पो0+थाना- बासुदेवपुर<br>जिला- मुंगेर<br>सीएमसी न0- 401397 पी         | वृहत ब्रेन सर्जरी | 2,50,000  | दो लाख पचास<br>हजार स्वीकृत।                    |
|   |                                                                                                                             |                   | 10,27,000 |                                                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,27,000/- (दस लाख सत्ताईस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196959.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

2133 (14)

पटना, दिनांक

30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196959 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/ एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल,  
120/1, अदुल रोड़,  
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                      | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1       | 2                                                                                                     | 3             | 4              | 5               |
| 1       | मास्टर अनिकेत कुमार<br>पिता- निरजन कुमार<br>ग्राम+पो०- काशडी वार्ड 11<br>थाना- अतीचक<br>जिला- भागलपुर | कैसर रोग      | 1,00,000       | एक लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                       |               | ₹ 1,00,000/-   |                 |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड़, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196959..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पीटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-Axis Bank Ltd, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० / —

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2134 (14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176957.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में )/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एड रिसर्च, चंडीगढ़- 160012

पटना, दिनांक.....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या                                                                                    | बीमारी का नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                | 3                  | 4              | 5                            |
| 1       | धनजय चौरसिया<br>पिता- कन्हैया प्रसाद चौरसिया<br>ग्राम+पो0- गम्हारी<br>थाना- बैकुंठपुर<br>जिला- गोपालगंज<br>सीआर न0- 202501429719 | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000       | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
| 2       | मणिकांत प्रसाद<br>पिता- रामरूप राम<br>ग्राम- नवादा<br>पो0- ओखरियागोलाब<br>थाना- कोवाकोल<br>जिला- नवादा<br>सीआर न0- 202502176202  | गुर्दा प्रत्यारोपन | 2,75,000       | दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                  |                    | 5,50,000       |                              |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स0- 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 196957... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड स0 01524 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार



अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2135 (14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196257 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को करा दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में

निदेशक/अधीक्षक,  
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज  
एडं रिसर्च सेंटर बी०जे० मेडिकल कालेज  
एडं सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा  
अहमदाबाद-380016

पटना, दिनांक. .... .

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता<br>तथा अस्पताल की<br>निबंधन संख्या                                                                          | बीमारी का<br>नाम      | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1       | 2                                                                                                                               | 3                     | 4              | 5                |
| 1       | विशाल कुमार मुखतार गिरी<br>पिता- मुखतार गिरी<br>ग्राम+पो०- जलालपुर<br>थाना- दरौदा<br>जिला- सिवान                                | गुर्दा<br>प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
| 2       | तारकेश्वर लेट शिव बचन<br>तिवारी<br>पिता- स्व० शिव बचन<br>तिवारी<br>ग्राम- टेकनिवास<br>पो०- कचनार<br>थाना- रिविलगज<br>जिला- सारण | गुर्दा<br>प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
| 3       | मनोज चदेश्वर प्रसाद<br>पिता- चदेश्वर प्रसाद<br>ग्राम- जगतपुर तरवारा<br>पो०- तेलछा<br>थाना- जनता बाजार<br>जिला- सारण             | गुर्दा<br>प्रत्यारोपन | 3,00,000       | तीन लाख स्वीकृत। |
|         |                                                                                                                                 |                       | ₹ 9,00,000     |                  |

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,00,000/- (नौ लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176757 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के

माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० -353501011014063 खाता धारक का नाम-“इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर” खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- युनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-Civil Hospital Compound Branch, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० UBIN 0558486 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2136 (14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196789 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

Medica Superspecialty Hospital,  
127, Mukundapur, E.M. Bypass,  
Kolkata - 700099

पटना, दिनांक . . . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.07.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता<br>तथा अस्पताल की निबंधन<br>संख्या                                      | बीमारी<br>का नाम   | अनुदान की राशि | राशि शब्दों में              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| 1       | 2                                                                                           | 3                  | 4              | 5                            |
| 1       | द्रोपदी देवी<br>पति— रामदेव यादव<br>ग्राम— पैकाहा<br>पो०— बारा<br>थाना— बेलहर<br>जिला— बाका | हृदय रोग<br>एमभीआर | 1,50,000       | एक लाख पचास हजार<br>स्वीकृत। |
|         |                                                                                             |                    | 1,50,000       |                              |

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196957... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 022951000009, खाता धारक का नाम— Medica Hospital Pvt Ltd, खाते का प्रकार— Cash Credit, बैंक का नाम— ICICI BANK Ltd, शाखा का नाम— Technopolis Branch, RTGS/IFSC कोड सं०— ICIC0000229 में अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त'बिहार लोक माग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से



वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2137(14)

पटना, दिनांक 30/7/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०... 196957 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे )/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख